दिनांक:- 03-12-2018

ओवर द टॉप (ओटीटी) कम्युनिकेशन सर्विस के लिए नियम कानून बनाने हेतु TRAI द्वारा लाए गए कंसल्टेशन पेपर पर 'संघ' के सुझाव

मान्यवर,

ओटीटी पर जारी कंसल्टेशन पेपर पर सुझाव देने से पूर्व TRAI को बधाई व शुभकामनाएँ देनी होंगी कि उन्होंने इस विषय को गम्भीरता से लिया और समय रहते प्रक्रिया आरम्भ की, परिणाम क्या होंगे ये तो बाद की बातें हैं।

केबल टीवी की ओर सरकार का ध्यान बहुत देर से गया था, क्योंकि गल्फवार से शुरू हुआ केबल टीवी व्यवसाय जब देशभर में प्रचलन में आ गया था, लाखों लोग जब केबल टीवी से जुड़ चुके थे व कई सैटेलाइट चैनलों का प्रसारण प्रचलन में आ गया था एवम् पे चैनल की भी शुरुआत हो चुकी थी तब कहीं जाकर सरकार की नींद खुली थी और आनन-फानन में 29 सितंबर 1994 की आधी रात को केबल टीवी पर ऑर्डिनेंस लाया गया था जो बाद में 'केबल टीवी एक्ट 1995' हो गया। तब भी सिर्फ केबल टीवी के लिए ही ऑर्डिनेंस लाया गया था, सैटेलाइट चैनलों के लिए नहीं। सैटेलाइट चैनलों के लिए लाए जाने वाले प्रसारण विधेयक की आज भी प्रतीक्षा है।

सैटेलाइट चैनलों में पे चैनलों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही, वे निरंकुश अपनी मनमानी से अपना विस्तार करते रहे, लेकिन उनके द्वारा थोपे जा रहे आर्थिक बोझ असहनीय होने पर जब केबल टीवी ऑपरेटरों की दरों में वृद्धि की गई तब सरकार का ध्यान केबल टीवी व्यवसाय पर गया और उपभोक्ताओं के हित में कंडिशनल एक्सिस सिस्टम (कैस) कानून बनाया गया, जिसे सरकार लागू नहीं करवा सकी। कैस के बाद डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डैस) कानून बनाकर जबरदस्ती 1 नवम्बर 2012 से कानून को लागू करवाने की तमाम कोशिशें करने के बावजूद आज तक उसे कानून लागू नहीं करवाया जा सका है, जबकि माननीय मंत्री महोदय संसद में बयान देकर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। डैस कानून में कितनी खामियाँ हैं यह इसी बात से पता लग जाता है कि तब से अब तक उसमें सुधार हेतु 27 कंसल्टेशन पेपर लाए जा चुके हैं व आगे भी लाए जाते रहेंगे क्योंकि केबल टीवी व्यवसाय को जमीनी स्तर पर समझा ही नहीं गया है, उसे टैलको के नजरिए से देखा व रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता रहा है। जबकि केबल टीवी टैलको नहीं केबल टीवी ही है।

TRAI के अनुसार डैस कानून उपभोक्ताओं के हित में लाया गया है जबकि उपभोक्ताओं का कोई भी हित इसमें दिखाई नहीं देता है।

ऐसा अधकचरा कानून जिसमें खामियाँ ही खामियाँ हों और जिसे लागू ही ना करवाया जा सके उसे बनाने का ही क्या औचित्य है? वैसे भी उपभोक्ताओं तक तो सरकार अभी अपना यह संदेश भी नहीं पहुँचा सकी है कि उनके हित में सरकार यह कानून लाई है, उन्हें जब जानकारी मिलेगी, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह तो समय ही बताएगा।

ओवर द टॉप (ओटीटी) कंसल्टेशन सर्विस पर आए कंसल्टेशन पेपर पर TRAI की गम्भीरता सराहनीय है। यह युग टैक्नालॉजी का युग है, नई-नई तकनीक आएंगी ही, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तकनीक का दुरुपयोग ना हो एवं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमें कानून बनाना चाहिए। ओटीटी तकनीक भी भारत में प्रचलन में आ चुकी है, फिर भी अभी देर नहीं हुई है, इस पर तुरन्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)

B-263, Indra Nagar, Delhi-110033

Telefax:- +91-11-276372736 Mobile:- +91-9811110410, 9311110410

केबल टीवी से यह तकनीक बिलकुल भिन्न है, यह सर्विस सिर्फ ब्रॉडबैंड इंटरनेट के द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, अत: इसके लिए wpc & nocc की निगरानी जरूरी होनी चाहिए!

केबल टीवी का रजिस्ट्रेशन एमआईबी से होता है, क्योंकि वह ब्रॉडकास्ट सर्विस है जबकि ओटीटी ना ब्रॉडकास्ट सर्विस है ना ही टैलको, लेकिन इस सर्विस में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से कंटेंट्स का प्रवाह होता है, अत: इसे डिओटी के अन्तर्गत रखना उचित होगा।

भविष्य में यह संभव है कि ओटीटी या आईपी टीवी केबल टीवी का विकल्प बन जाए अथवा ब्रॉडकास्टर्स उपभोक्ताओं तक पहुंचने का इसे ही एक श्रेष्ठ रास्ता चुनें, तबकी संभावनाओं पर अभी ही विचारना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा में यह तकनीक कहीं घातक न बन जाए, उस बारे में भी हमें गहन विचार करना होगा।

अभी इस तकनीक पर किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक बोझ रखना अनुचित होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए मुफ्त भी ठीक नहीं रहेगा इसलिए कुछ न कुछ फीस रखी जानी चाहिए।

इस तकनीक के माध्यम से समूची दुनिया ही आपकी उंगली पर आकर टिक जाती है, प्रत्येक कंटेंट यूट्यूब व अन्य सर्वर पर उपलब्ध होते हैं, उनमें से क्या किसने डाउनलोड करना है या क्या किसने अपलोड करना है नियंत्रण से परे है।

इसलिए देखने वाली बात यह भी होगी कि कंटेंट नियंत्रण से बाहर न हो जाए। इस तकनीक पर पूरी गंभीरता के साथ दूरदर्शिता से विचारना होगा, इसे डैस की भांति कैकटस बनने से रोकना होगा।

शुभ कामनाओं सहित...!

धन्यवाद

शुभेच्छु

डा.ए.के. रस्तोगी
अध्यक्ष
ऑल इंडिया आविष्कार डिश एंटीना संघ
मो.- +91-9811110410
ई.- dr.akrastogi@gmail.com